5.4.18 — कुसुमाग्रज की ओर से का. क्र. [illegible] किया गया है एवं प्र.क्र.2 रिपोर्ट है एवं प्र.क्र.3 के विषय में अभी तक नहीं पाया जिससे प्रकरण [illegible] किया गया। प्र.क्र. किया प्रकरण प्र.क्र. 2 के आधार पर पेश करने का मौका पाने के लिए प्रकरण आवली दि. 16.5.18 को पेश है। d

4.6.18 आवली को आज अपने प्रकरण 1–
2–
3–
के लिए प्रस्तुत। परंतु आज मूल रोव में विपक्ष के ओर से इस आवली में कोई कार्यवाही शेष नहीं रहने से प्रार्थी का प्रकरण निकाल किया जाता है। आवली निर्णीत सेकर समाप्त के लायी है। d

नि. सुन्दरलाल

सेवामें,
प्रस्तुत
श्री
निवासी
प्रार्थी
क–
1–

Scanned by CamScanner